न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —04 / 2026 (अपील)

GCMS No.- 2026/60

1. रानी सोनी पत्नी स्व0 रामचरण सोनी जाति स्वर्णकार निवासी 17—क, आरकेपुरम पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्री राजेन्द्र राठौड, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति नान्ता कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 27 (10) किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 वास्ते बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा को प्रार्थीया रानी सोनी की सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत्।

उपस्थितः—

1. श्री हीरालाल, अभिभाषक अपीलांट
2. सहायक लोक अभियोज, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—24.03.2026

1. प्रार्थीया द्वारा एक परिवार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 27(10) किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रस्तुत कर वास्ते बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा को प्रार्थीया रानी सोनी की सुपुर्दर्गी में दिये जाने का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया ।
2. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर परिवाद के सम्बन्ध में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति नान्ता कोटा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई । वकील प्रार्थीया एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि करीब 6 वर्ष पूर्व एक अविवाहित युवती ने नन्दवाना हॉस्पीटल रंगबाडी कोटा में एक पुत्र को जन्म दिया जिसे वह लोक लाज के भय से पुत्र को अपने पास नहीं रखना चाहती थी । प्रार्थी की जानकारी में आने पर प्रार्थीया ने उक्त युवती से निवेदन किया कि उसकी पुत्री पिंकी सोनी के कोई संतान नहीं है तथा व बच्चे का लालन पोषण कर लेगी तथा उक्त युवती ने स्वेच्छा से बालक प्रार्थीया को सोंप दिया था । उस तथ्य की पुष्ठि स्वयं बालक की नेचुरल मां द्वारा परिवाद संख्या 2183 / 2025 दिनांक 10.12.2025 पर पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा द्वारा की गयी, गहन जांच के दौरान अपने पुलिस बयान में की गयी है कि उसने अपने बालक को स्वेच्छा से प्रार्थीया को दिया गया है तथा अब वह विवाहित हो गयी है और उसका अपना परिवार है, इस कारण वह बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा को अपने पास नहीं रख सकती है । प्रार्थीया द्वारा बालक का पालन पोषण पिछले करीब 6 वर्षो से अपने पुत्र की तरह करती चली आ रही है तथा बालक का स्कूल में दाखिला कराया गया है और शिक्षा दीक्षा करवायी जा रही है तथा बालक अभय सोनी भी प्रार्थीया को नानी कहकर संबोधित करता है तथा बालक अभय सोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरकेपुरम कोटा में अध्ययनरत है । प्रार्थीया की पुत्रवधु कविता उर्फ जानकी पत्नी दीपक सोनी जो वर्तमान में अपीलान्ट के पुत्र दीपक सोनी के साथ नहीं रहती है, जिसके द्वारा दुर्भाविक भावना से की गयी शिकायत परिवार संख्या 2183 / 2025 पर पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा द्वारा विस्तृत जांच की गई है जिसमें अपीलकर्ता को दोषी नहीं पाया गया है । इसके

बावजूद पुलिस थाना आरकेपुरम कोटा द्वारा बाद जांच बालक अभय सोनी को बाल कल्याण समिति नान्ता कोटा को सुपुर्द कर दिया गया है । प्रार्थीया द्वारा बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु बाल कल्याण समिति नान्ता के अध्यक्ष श्रीमान राजेन्द्र राठौड के समक्ष दिनांक 22.01.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु आज दिनांक तक न तो कोई आदेश पारित किया और न ही बालक अभय सोनी को प्रार्थीया को सुपुर्द किया गया है और न ही बालक से मिलने नहीं दिया जा रहा है । बाल कल्याण समिति नान्ता के अध्यक्ष जानबूझकर प्रार्थीया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में आदेश नहीं किया जा रहा है । बालक बाल कल्याण समिति में रहते हुये बीमार हो गया है तथा प्रार्थीया एवं बालक दोनों ही मानसिक रूप से अत्यन्त परेशान हो रहे है तथा बालक प्रार्थीया से दूर रहकर बीमार हो गया है तथा बालक को प्रार्थीया की अत्यन्त आवश्यकता है । बालक का सर्वोत्तम हित प्रार्थीया के साथ रहने में ही निहीत है । अतः बाल कल्याण समिति कोटा के मौन / आदेश न देने की स्थिति को निरस्त करते हुये बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा को अपीलकर्ता रानी सोनी की सुपुर्दगी में देने के आदेश पारित किये जाये । प्रकरण के अन्तिम निर्णय तक अन्तरिक सुपुर्दगी प्रार्थीया को प्रदान की जावें । बालक अभय सोनी उर्फ कान्हा के स्वास्थ्य शिक्षा एवं भावनात्मक हितों को दुष्टिगत रखते हुये अन्य न्यायोचित आदेश पारित किये जाने की कृपा करें ।

4. अप्रार्थी बाल कल्याण समिति की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा 27(10) में कार्यकरण शिकायत बाबत है परन्तु इसमें जे0जे0 एक्ट 2015 के प्रावधानों के तहत केवल अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह राठौड को पक्षकार बनाकर पेश किया गया है जो कि विधि सम्मत नहीं है । बाल कल्याण समिति के कार्यकरण केवल अध्यक्ष एकलरूप में सम्पूर्ण बाल कल्याण समिति के बतौर कार्यवाही नहीं कर सकता है । आज दिनांक तक केवल अध्यक्ष द्वारा जांच पत्रावली पर अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया बल्कि कोरम की सहमति से किया गया है । प्रार्थीया का कहना है कि बालक अभय उर्फ कानू के प्रकरण का निस्तारण बाल कल्याण समिति कोटा द्वारा नहीं किया जा रहा है जबकि समिति के समक्ष प्रार्थीया के विरूद्व प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता स्वयं प्रार्थी के बेटे दीपक की पुत्र वधु व बडे बेटे मनोज की पुत्रवधु है जिन्होने ही प्रार्थीया पर आरोप लगाया कि मेरा पति दीपक सोनी मेरे पुत्र हुकम सोनी उम्र 2 वर्ष को मुझसे छीन कर बेचना चाहता है तथा मेरी सास रानी सोनी ने पूर्व में भी एक नर्सिंगहोम से एक बालक को अवैधरूप से चुराकर लाया गया है और वह बालक अभी भी रानी सोनी के साथ ही रह रहा है तथा मेरे पति द्वारा कुछ साल पहले जब हम मथुरा में रहते थे उस समय एक बच्ची को स्टेशन से लाना बताया है । इस संबंध में कई शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा को की गई परन्तु थाने में महिला रानी सोनी का प्रभाव होने से कुछ नहीं हुआ । न्यायपीठ को उक्त प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में निश्चित तौर पर गहनता से व बालक के सर्वोत्तम हित में उचित कार्यवाही करना है जबकि शिकायतकर्ता के तथ्यों पर कार्यवाही करने पर रानी सोनी के साथ अभय सोनी उर्फ कानू को निवास करता पाये जाने पर जानकारी की तो स्पष्ट हुआ कि यह बालक नर्सिंगहोम में एक अविवाहित महिला से जन्म होने के पश्चात अवैधानिक तरीके (जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 80 के तहत अपराध है) से लिया गया है । न्यायपीठ ने पूर्व में जब रानी सोनी से बालक के दस्तावेज चाहे व जानकारी ली तो रानी सोनी ने यही कहा कि मेरी पुत्री पिंकी व पंकज का पुत्र है जिसका जन्म ससुराल आगरा में हुआ था व मैं आपको दस्तावेज लाकर दूंगी । फिर जब रानी सोनी दस्तावेज व बालक को लेकर पुनः नहीं आई तो जरिये श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा को पत्र जारी कर थाने को आदेशित करवाकर बामुश्किल लाया गया । रानी सोनी के तथ्य असत्य पाये जाने व शिकायतकर्ता के सत्य पाये जाने से न्यायपीठ लगातार रानी सोनी से यह कहती रही कि बालक के बाबत व बालक के कल्याणस्वरूप रानी सोनी द्वारा वनाया गया एक भी दस्तावेज जन्म दिनांक 16.11.2019 से आज तक हो तो पेश करे परन्तु रानी सोनी ने पेश नहीं किये । जिससे रानी सोनी का वैधानिक अधिकार वनना पाया जाये व कार्यवाही बालक के हित में पक्ष में तुरन्त निश्चित की जा सकें ।

न्यायपीठ ने एक ही शिकायत में दूसरी पिडित बालका पिकया उर्फ पिन्नू उम्र 5 वर्ष को भी शिकायतकर्ता के अनुसार दीपक सोनी द्वारा बालिका के माता पिता से पृथक लाना बताया है । दिनांक 10.12.2025 को रानी सोनी से बाल कल्याण समिति

की बैठक कार्यवाही में यहां जानना चाहा की बालिका प्रिया उर्फ पिन्नू कहा है तो रानी सोनी ने बताया कि दीपक सोनी मुझसे बालिका का शराब के नशे में छिन कर ले गया तथा वर्तमान में वह कहां है मुझे मालूम नहीं, मैं भी दीपक की रिपोर्ट दर्ज करवाकर बालिका को आपके पास लाती हूँ । बालिका प्रिया को बाल कल्याण समिति कोटा के आदेश से श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा की सहायता से थाने को निर्देशित कर रेस्क्यू किया गया तो यह जानकारी सामने आई कि बालिका को रानी सोनी व दीपक सोनी ने अवैधानिक रूप से किसी बनवारी लाल नाम व्यक्ति को दिनांक 6.11.2024 जरिये स्टाम्प सहमति पत्र दे दिया और बालिका के पेटे राशि भी प्राप्त कर सुपुर्द कर दिया है । उसी बनवारी लाल के पास से बालिका को लाकर न्यायपीठ के समक्ष पेश कर अस्थाई आश्रय दिलवाया गया । दोनों का कृत्य जो कि जे0जे0 एक्ट 2015 के प्रावधानों की विभिन्न धाराओं के साथ अन्य विधि में भी गम्भीर अपराध है । वर्तमान में शिकायतकर्ता द्वारा न्यायपीठ में दी गई शिकायत में जो तथ्य स्पष्ट हुये उनसे तीन प्रकरणों में दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है फिर भी न्याय पीठ द्वारा बालक की सुनवाई 4 माह और अगर बालक दत्तक से संबंधित है तो प्रावधानों अनुसार समयावधि में कार्यवाही करनी होती है जो निर्धारित प्रावधानों के तहत पत्रावली पर नियत दिनांक पर की जा रही है ।

5. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का बिन्दुवाईज जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है–

- प्रार्थीया स्वयं ने कहा कि एक अविवाहित युवती के शिशु को प्राप्त कर अपने पास रखना चाहती थी जबकि परित्याग, अनाथ, अभयर्पित बालकों के लिये ही जे0जे0 एक्ट 2015 के तहत विधिवत व्यवस्था की गई कि अगर कोई महिला किसी भी रूप में अनचाहे शिशु को नहीं रखना चाहती तो वह पालना ग्रहों में या चाईल्ड हेल्प लाइन की सहायता से भी अभयर्पित करवा सकती है माता के द्वारा शिशु के परित्याग के बाबत उसके विरूद्व कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जावेगी तथा जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 74 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है कोई आवश्यकता वाला व्यक्ति बालक को गोद लेना चहे तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ले सकता है । इसी प्रकार प्रार्थीया को भी तो विधि के प्रावधानों के तहत ही शिशु को प्राप्त करना चाहिए था । प्रार्थीया द्वारा जब जैविक माता से शिशु प्राप्त कर लिया तो प्रार्थीया को जे0जे0 एक्ट की धारा 32 में सूचना करना चाहिए अन्यथा निर्धारित प्रक्रिया के नहीं अपनाने से जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 80 के तहत अपराध भी है, बल्कि अन्य विधि में भी अपराध है । केवल दत्तक दिये जाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जो CARA (Central Adoption Resource Authority) प्रावधानों के तहत पूर्ण की जा सकती है ।
- प्रार्थीया को बालक की माता ने स्वैच्छा से बालक देना बताया परन्तु प्रार्थीया को तो विधि के प्रावधानों के तहत पूर्ण करने थे क्योंकि बालक को प्रार्थीया के परिवार में बालक के विधिक अधिकार तो किसी विधिक कार्यवाही से ही प्राप्त होंगे अन्यथा बालक का अहित ही होगा । इस प्रकार तो कोई भी विधि की पालना ही नहीं करेगा और जैसा कि इसमें भी हुआ, रानी सोनी ने अभय उर्फ कानू को अपनी पुत्री पिंकी सोनी के लिये प्राप्त किया था जबकि पिंकी सोनी की आरम्भ से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसके कारण पिंकी के ही पति पंकज ने रानी सोनी व पिंकी सोनी पर तेजाब फेंक दिया था । पिंकी सोनी के साथ रखना भी नहीं चाहती क्योंकि वह अपने पति के जेल जाने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है । यहां पर बालक माता पिंकी को माने परन्तु पिंकी ने अपना अलग से परिवार बना लिया तथा रानी सोनी में केवल वह कथित रूप से 60 वर्ष की एकल महिला है तो बालक का क्या भविष्य है ।
- बालक को विधि के प्रावधानों के तहत नहीं लिया गया है ना ही आज दिनांक तक रानी सोनी द्वारा बालक की पहचान संबंधी कोई दस्तावेज ही बनवाया । बिन्दु 5 में असत्य कथन है चूंकि रानी सोनी प्रवेश के लिये आंगनबाडी केन्द्र लेकर गई तो बालक व अभिभावक का आधार कार्ड मांगा गया जिस पर केवल दो दिवस बालक को 2024 में आने देना जाहिर किया उसके बाद से आज तक आंगनबाडी केन्द्र नहीं गया । वर्णित विद्यालय का प्रवेश संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

- प्रार्थीया के विरूद्व प्रकरण पंजीकृत अभी तक नहीं किये जाने का यह अर्थ नहीं कि उनके द्वारा विधि के विरूद्व किये गये कृत्य के लिये दोष मुक्त घोषित किया किया है । प्रार्थीया से बालक को उसके सर्वोत्तम हित में उसकी उचित देखभाल व संरक्षण हेतु पुलिस थाना आर के पुरम द्वारा बाल कल्याण समिति कोटा में पेश कर आश्रय दिलाया गया ।
- न्यायपीठ की बैठक के दौरान की गई कोई भी कार्यवाही केवल अध्यक्ष द्वारा न की जाकर अपितु सम्पूर्ण न्यायपीठ का निर्णय होता है । बालक देखाभाल एवं संरक्षण आश्रय में दिये जाने की दिनांक से आज दिनांक तक सकुशल है, पहले से ज्यादा प्रसन्न है । न्यायपीठ लगातार बालक के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित में कार्यवाही कर रही है ।
- उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में बाल कल्याण समिति की जांच कार्यवाही अन्तर्गत धारा 36 के निर्धारित समय पूर्व ही अपील पेश कर जबरन प्रार्थीया ने विनिश्चय अपने पक्ष में करवाये जाने का दबाव बनाया है साथ ही सुपुर्दगी दिये जाने हेतु कई तथ्यों को बालक के कल्याण व सर्वोत्तम हित में देखना होता है जिसके पश्चात न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय की अपील की जा सकती है । बालक के संबंध में विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिये सुपुर्दगी किसी प्रकार विधि सम्मत होगी यह निर्णय तो कोरम के तहत ही तय होना है । प्रार्थीया द्वारा समय पूर्व की गई न्यायपीठ के निर्णय की अपील को धारा 27(10) के प्रावधानों के विपरीत पेश किया है । बालक की कार्यवाही को जे0जे0 एक्ट के प्रावधानों के तहत समयावधि में पूरा किया जाकर जांच विनिश्चय से अवगत करवाया जाएगा ।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं कानूनी प्रावधानों का अमल किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन करने पर निम्न तथ्य प्रकट है–

- प्रार्थीया रानी सोनी जिस बालक अभय उर्फ कानू को बाल कल्याण समिति कोटा से अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहती है, वह बालक नर्सिंग होम में एक अविवाहित महिला से जन्म होने के पश्चात अवैधानिक तरीके से लिया गया है (जो जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 80 के तहत अपराध है) प्रार्थीया के पुत्र दीपक की पुत्रवधु ने समिति के समक्ष प्रार्थीया की शिकायत में आरोप लगाया कि मेरा पति दीपक सोनी मेरे पुत्र हुकम सोनी उम्र 2 वर्ष को मुझसे छीन कर बेचना चाहता है तथा मेरी सास रानी सोनी ने पूर्व में भी एक नर्जिंगहोम से एक बालक को अवैधरूप से चुराकर लाया गया है और वह बालक अभी भी रानी सोनी के साथ ही रह रहा है । प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए उक्त बालक को प्रार्थीया रानी सोनी से दस्तयाब किया एवं वर्तमान में बाल कल्याण समिति के पास है ।
- रानी सोनी एवं उनके पुत्र पर बच्चे चौरी करना एवं बेचने का आरोप प्रार्थीया की पुत्रवधु द्वारा लगाया गया है, इसी आधार पर बालक को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया है तथा जिसकी जांच कार्यवाही बाल कल्याण समिति में विचाराधीन होकर समिति द्वारा बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है ।
- प्रार्थीया का आरोप अनुसार अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को उनके सुपुर्दगी के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2026 को प्रस्तुत किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस पर अध्यक्ष बाल कल्याण समिति का तर्क अनुसार केवल अध्यक्ष द्वारा सुपुर्दगी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, सम्पूर्ण समिति का कोरम पूर्ण होने पर ही समिति की राय अनुसार ही निर्णय लिया जाता है । प्रार्थीया ने बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2026 को प्रस्तुत किया तथा उस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की समयावधि पूर्व ही इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 27 (10) में परिवाद दिया है, जबकि समिति अध्यक्ष का कथन है कि धारा 36 (2) अनुसार समिति को अन्तिम निर्णय के लिये 4 माह का समय है । अभी 4 माह का समय व्यतीत नहीं हुआ है । प्रार्थीया के परिवाद पर इस न्यायालय द्वारा बालक के सुपुर्दगी के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समिति का कोरम पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जा सकता है । धारा 36 अनुसार समिति को निर्णय करने के लिए चार माह का समय का प्रावधान है । प्रार्थीया द्वारा बालक के सुपुर्दगी के सम्बन्ध में इस परिवाद प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है । प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गये आरोप बेबुनियादी है । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है किन्तु अध्यक्ष बाल कल्याण समिति को आदेश दिये जाते है कि बालक के प्रथम बार समिति के समक्ष पेश होने के 4 माह के भीतर बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

कलक्टर कोटा

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा